न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजकुमार कस्वा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 44/2023, प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण

1. बाबूलाल पुत्र भोमाराम जाति माली निवासी जिन्द का बास हरिपुरा रोड जागीर बांदीकुई तहसील बांदीकुई जिला दौसा।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री नीरज मीना उप जिला कलक्टर बांदीकुई।
2. धनसिंह पुत्र शिवलाल जाति गुर्जर निवासी अणची का बास वार्ड नम्बर 25, गुढा रोड, बांदीकुई तहसील बांदीकुई जिला दौसा।
3. रतनलाल पुत्र भोमाराम जाति माली निवासी जिन्द का बास, हरिपुरा रोड, जागीर बांदीकुई तहसील बांदीकुई जिला दौसा।
4. प्रेमबाई पुत्री शंकरलाल जाति माली निवासी जिन्द का बास, हरिपुरा रोड, जागीर बांदीकुई तहसील बांदीकुई हाल निवासी जिन्द का बास, हरिपुरा रोड, जागीर बांदीकुई तहसील बांदीकुई हाल निवासी सिकन्दरा रायपुरा तहसील सिकराय जिला दौसा।
5. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र शंकरलाल जाति माली निवासी जिन्द का बास हरिपुरा रोड, जागीर बांदीकुई तहसील बांदीकुई जिला दौसा।
6. रामसिंह पुत्र शंकरलाल जाति माली निवासी जिन्द का बास हरिपुरा रोड, जागीर बांदीकुई तहसील बांदीकुई जिला दौसा।
7. लड्डो देवी पुत्री भोमाराम जाति माली निवासी जिन्द का बास हरिपुरा रोड, जागीर बांदीकुई तहसील बांदीकुई जिला दौसा।
8. चमेली पुत्री शंकर जाति माली निवासी गुढाकटला तहसील बसवा जिला दौसा।
9. दिलीप सिंह माल पुत्र रामसिंह गुर्जर जाति गुर्जर निवासी वार्ड नम्बर 10 सिकन्दरा रोड बांदीकुई तहसील बांदीकुई जिला दौसा।
10. मंजू देवी पुत्री सुवालाल पत्नि तानीराम दोहित्री भोमाराम जाति माली निवासी मालाखेडा दरवाजा बाहर गूणिया की ढाणी बसवा तहसील बसवा जिला दौसा।
11. राज. सरकार जरिये तहसीलदार बसवा तहसील बसवा जिला दौसा।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण विरूद्ध उप जिला कलक्टर बांदीकुई बाबत मुकदमा वाद उनवानी धनसिंह बनाम रतनलाल दावा नम्बर 305/2022

उपस्थिति : श्री विनोद कुमार विजय अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
: श्री मनोहर मुद्गल अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 10 उपस्थित।
: श्री राजेश शर्मा राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

:— निर्णय :— दिनांकः— 11.10.2023

सत्यमेव जयते
उप जिला
Web Copy Not Official

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि अप्रार्थी संख्या 2 ने अधीनस्थ न्यायायल उप जिला कलक्टर बांदीकुई के समक्ष एक वाद तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाके रामा भोज्यावाला पटवार हल्का बांदीकुई जागीर तहसील बांदीकुई में स्थित भूमि खसरा संख्या 1749 रकबा 1.23 है. बाबत वादी का 103/1230 हिस्सा बताकर प्रस्तुत किया और उक्त वाद पेश करके उक्त भूमि का वादी के हिस्से अनुसार सरस नरस रास्ते की सुविधा को ध्यान रखते हुये विधिवत तकास्मा करने की स्थाई निषेधाज्ञा की याचना की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानून के विपरीत तरीके से तनकी बनाकर और मात्र वादी के साक्ष्य लेकर बिना प्रार्थी द्वारा कोई राजीनामा पेश किये

बिना कोई तकास्मा की सहमति दिये तारीख देने की कहकर प्रार्थी बाबूलाल के पुरानी तारीख में हो रहे हस्ताक्षरो को दिनांक 27.5.2023 की तारीख में किये गये हस्ताक्षर मानकर और सभी पक्षकारो की सहमति बताकर दिनांक 27.5.2023 को उक्त भूमि का सरस नरस मौका का कब्जा काश्त अनुसार रास्ते आदि की सुविधा को ध्यान में रखते हुये कुरेजात प्रस्ताव मय बयरंग सुर्ख नक्शा ट्रेस दो प्रतियों में तैयार कर भिजवाने का सुनिश्चित करने के आदेश दे दिया व कुरेजात हेतु तहसीलदार बांदीकुई को तहरीर जारी करने का आदेश दे दिया तथा तदनुसार प्राथमिक डिक्री जारी कर दी। अपीलान्ट बाबूलाल द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम पर कोई आदेश पारित नहीं किया। जिसके विरूद्ध प्रार्थी व मंजू देवी ने अपीलीय न्यायालय भूप्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर कैम्प दौसा के समक्ष अपील पेश की जिस अपील में अपीलीय न्यायालय ने स्थगन जारी किया और पत्रावली तलब के आदेश पारित किये उक्त अपील अपीलीय न्यायालय में चल रही है। जिसकी पत्रावली तलबी के आदेश भी उप जिला कलक्टर बांदीकुई को दे दिया गया था। किन्तु पीठासीन अधिकारी न्यायालय उप जिला कलक्टर बांदीकुई अंतिम डिक्री पारित करने पर आमादा हो रहे है। जिससे प्रार्थी को न्याय की उम्मीद नहीं रही है। इसलिये प्रकरण की विधिवत सुनवाई हेतु प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने हेतु प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई। अधीनस्थ न्यायालय उपजिला कलक्टर बांदीकुई से प्रकरण के सम्बन्ध में तथ्यात्मक टिप्पणी प्राप्त की गई। उपस्थित अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर बांदीकुई द्वारा विचाराधीन वाद में प्रतिवादी संख्या 5 मंजू देवी का सही पता लिखे बिना व उसकी तलवी कराये बिना एवं उसकी तलवी के सम्बन्ध में कोई आदेश पारित किये बिना तथा प्रार्थी द्वारा हाजिर आकर जवाब दावा व काउन्टर वाद पेश करने एवं शेष प्रतिवादी द्वारा कोई जवाब दावा पेश नहीं करने तथा उनका जवाब दावे का अवसर बन्द किये बिना कानून के विपरीत तरीके से तनकी बनाकर और मात्र वादी की साक्ष्य लेकर सभी पक्षकारो की सहमति बताकर मिलीभगत से प्रश्नगत भूमि के कुरेजात प्रस्ताव तैयार करने के आदेश जारी कर दिये गये। तदनुसार प्राथमिक डिक्री जारी कर दी गई। प्रार्थी बाबूलाल द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया। जिसके विरूद्ध प्रार्थी व मंजू देवी ने न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर कैम्प दौसा के समक्ष अपील पेश की। जिसमे अपीलीय न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी किया जाकर पत्रावली तलब करने के आदेश पारित किये गये। अपीलीय न्यायालय द्वारा जारी पत्रावली तलवी का आदेश भी उप जिला कलक्टर बांदीकुइ को दिये जाने के उपरान्त भी पीठासीन अधिकारी न्यायालय उप जिला कलक्टर बांदीकुई तहसीलदार जी से कुरेजात बनवाकर अंतिम डिक्री पारित करने पर आमादा हो रहे है। माननीय राजस्व मण्डल ने आर.आर.टी. 2021(1) पेज 615 पर ये सिद्धान्त प्रतिपादित कर रखा है कि यदि प्राथमिक डिक्री की अपील कर दी गई हो तो न्यायालय को उस मुकदमें में अंतिम डिक्री पारित नहीं करनी चाहिये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में एक–एक दिन की तारीख पेशी दी जा रही है। प्रार्थी की कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। पीठासीन अधिकारी द्वारा अप्रार्थी धनसिंह व दिलीप सिंह से मिलीभगत कर प्रकरण में प्रार्थी को समुचित अवसर प्रदान किये बिना प्रकरण का निस्तारण करना चाहते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राप्त टिप्पणी में न्यायालय भूप्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर कैम्प दौसा से प्राप्त मिसल तलवी की चिट्ठी का भी अपने जवाब में उल्लेख नहीं किया है। पीठासीन अधिकारी के रवैये से प्रार्थी को न्याय की उम्मीद नहीं है। न्याय का ये सार्वभौम सिद्धान्त है कि न्याय हो रहा है ऐसा प्रतीत भी होना चाहिये। प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से न्याय होता प्रतीत नहीं हो रहा है। अतः प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण स्वीकार फरमाया जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर बांदीकुई के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में प्राथमिक डिक्री प्रशासन गांवो के संग अभियान में की गई है। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान में भी प्रकरण से सम्बन्धित प्रार्थना पत्र लम्बित है। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा कथित अपील न्यायालय भूप्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर कैम्प दौसा में विचाराधीन होने की जानकारी अप्रार्थीगण को नहीं है। अपीलीय न्यायालय द्वारा जारी कोई मिसल तलवी आदेश प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया हो ऐसा तथ्य भी जानकारी में नहीं आया है। प्रार्थी द्वारा प्रकरण को लम्बित रखने की गरज से प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पेश कर दिया गया है। जो खारिज फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि जब तक अपीलीय न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी नहीं किया गया हो तब तक अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कार्यवाही जारी रखी जा सकती है। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा कथनानुसार अपीलीय न्यायालय द्वारा जारी दस्ती पत्र न्यायालय उप जिला कलक्टर बांदीकुई को तामील करा दिया गया है। किन्तु उसकी प्राप्ति रिपोर्ट पेश नहीं की गई है। पक्षकारो को पत्रावली लम्बित करवानी है इसलिये अलग–अलग न्यायालयों में अपील/प्रार्थना पत्र पेश किये गये है। उपखण्ड अधिकारी न्यायिक अधिकारी होने के साथ–साथ प्रशासनिक अधिकारी भी है। जिनसे विभिन्न व्यक्ति मिलते रहते है। इसलिये पीठासीन अधिकारी द्वारा पक्षकारो से मिलने जुलने से सम्बन्धित आरोप निराधार प्रतीत होता है।

उप जिला कलक्टर बांदीकुई से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट में अंकितानुसार दिनांक 14.10.2022 को न्यायालय हाजा में वाद दावा तकास्मा उनवानी धनसिंह बनाम रतनलाल वगैरा वाके रामा भोज्यावाला पटवार हल्का बांदीकुई जागीर तहसील बांदीकुई जिला दौसा में स्थित बाबत भूमि खाता संख्या नया 31 पुराना 25 के खसरा नम्बर 1749 रकबा 1.23 है. कुल किता 1 रकबा 1.23 है. का प्रस्तुत होने पर बाद दर्ज रजिस्टर कर तलवी जरिये सम्मन नोटिस प्रतिवादीगण की जाकर तारीख पेशी 28.10.2022 नियत की गई थी। न्यायालय हाजा में उक्त उनवानी प्रकरण धनसिंह बनाम रतनलाल वगैरा दावा तकास्मा का है जबकि मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के पैरा नम्बर 1 में यह प्रकरण तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का बताया गया है जों गलत अंकित किया गया है। उक्त उनवानी प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 5 मंजू देवी दोहित्री भोमाराम माली निवासी बांदीकुई की तलवी जरिये रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 15.10.2022 को की गई तत्पश्चात पुनःप्रशासन गांवो के संग अभियान शिविर स्थल भाण्डेडा दिनांक 27.5.2023 में उपस्थित होने के लिये उक्त प्रतिवादी मंजू देवी का न्यायालय हाजा द्वारा नोटिस प्रेषित किया गया। जिसे प्रतिवादी संख्या 4 बाबूलाल द्वारा प्राप्त कर हस्ताक्षर किये गये। उभयपक्षकारान शिविर ग्राम पंचायत भाण्डेडा में उपस्थित आयें। उभयपक्षकारान द्वारा वादग्रस्त भूमि का तकास्मा कराने हेतु निवेदन किया गया तथा भूमि का तकास्मा करने हेतु सहमति प्रकट की। इस बाबत् आदेशिका पर हस्ताक्षर किये गये। उक्त भूमि वादग्रस्त सह खातेदारी भूमि होने के कारण वादी को आर. टी. एक्ट के तहत वादग्रस्त भूमि का तकास्मा कराने का अधिकार प्राप्त होने व उभयपक्ष द्वारा सहमति प्रकट करने पर वादी वाद स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री किया गया। प्रकरण में नियमित रूप से सुनवाई की जा रही है। मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 2 लगायत 5 मनगढन्त असत्य व बिल्कुल निराधार होना व्यक्त करते हुये यदि उक्त पत्रावली को अन्य किसी न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने में न्यायालय हाजा को कोई आपत्ति नहीं होना अंकित किया गया है।

हमने उपस्थित अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर बांदीकुई द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी करने एवं प्रार्थी बाबूलाल द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम पर कोई आदेश पारित नहीं करने पर उसके विरूद्ध प्रार्थी एवं प्रतिवादी मंजू देवी ने न्यायालय भूप्रबन्ध अधिकारी एवं राजस्व अपील अधिकारी जयपुर कैम्प दौसा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिसमे स्थगन आदेश एवं मिसल तलवी की चिट्ठी जारी किया जाना व्यक्त किया गया है किन्तु उक्त

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मिसल तलवी चिट्ठी अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करने एवं उसकी प्राप्ति रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है। प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी पर मिलीभगत के आरोप के सम्बन्ध में कोई सबूत प्रस्तुत नहीं किये गये है। पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में भी प्रकरण में प्रशासन गांवो के संग अभियान में उभयपक्षकारान की सहमति प्रकट करने पर प्रकरण वादी वाद स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री जारी किया जाना व्यक्त किया गया है। अपीलीय न्यायालय द्वारा मिसल तलवी चिट्ठी प्राप्त होने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। किन्तु अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान अधीनस्थ न्यायालय मे विचाराधीन प्रकरण से सम्बन्धित मूल पत्रावली संख्या 305/2022 को अपीलीय न्यायालय द्वारा तलब किया जाना अवगत कराया है। अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रकरण से सम्बन्धित मूल पत्रावली को तलब किये जाने की स्थिति में प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण को स्वीकार किये जाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। इसलिये प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण साबित नहीं होने से खारिज किया जाना हम उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई को निर्णय की प्रमाणित प्रति भिजवाई जावे। प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण फैसल शुमार किया जाकर नम्बर से कम हो एवं पत्रावली बाद पूर्ति प्रविष्ठ लेख भण्डार की जावे।

(राजकुमार कस्वा)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय आज दिनांक 11.10.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा